न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या– 33/2024

1. मुखराम पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

1. खेताराम पुत्र लालुराम जाति जाट निवासी केलनिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
2. कासीराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी केलनिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
3. लाधुगिर पुत्र श्योलाल गिर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लु।

–रेस्पोडेन्टगण

5. पेमाराम पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमागनढ़।
6. बलराम पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमागनढ़।

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितः– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3

निर्णय दिनांकः– 31/01/2025

अपीलांट मुखराम पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी बरमसर तहसील पल्लु जिला हनुमागनढ़ द्वारा विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) पल्लु दिनांक 12.07.2024 को निरस्त करने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलान्ट व तरतीवी अपीलान्ट संख्या 5, 6 की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा प्रेमपुरा में खसरा नं. 1668/1090 की 6.3230 है0 भूमि है तथा रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ता 3 की भूमि इसी ग्राम में अपीलान्ट [illegible]थत है, जमाबंदी संलग्न अपील है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:56 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलान्ट एक लघु श्रेणी का छोटा किसान [illegible]था इसी कृषि भूमि पर [illegible]रके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा है तथा उक्त भूमि पर तीनो भाईयों ने फसल काश्त कर रखी है तथा गैरसायलान झगड़ालु किस्म में उंची राजनैतिक पहुंच

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के लोग है तथा उंची राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना मंजूर खेत के बीचोंबीच जबरिया रास्ता निकालना चाहते है। रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार पल्लु में एक प्रार्थना पत्र 251 पेश किया हुआ कि हमारा पुराना रास्ता चला आ रहा है, उसे खुलवाया जावे। पटवारी हल्का की रिपोर्ट आई उसमें साफ लिखा था कि अपीलान्ट के खेत में रास्ता मन्जूरशुदा नहीं है तथा खेत की सींव पर रास्ता छोड़ रखा है फिर भी जबरिया दवाब में आकर दिनांक 12.07.2024 को खेत के बीचोबीच रास्ता निकालने का आदेश पारित किया गया, जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है–

(क) यह कि अपील में खेत में मन्जूरशुदा रास्ता नहीं है तथा अपीलान्ट ने अपने खेत की सींव पर रास्ता छोड़ रखा है, जो मौके पर चालु है। फिर भी तहसीलदार पल्लु ने बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किये, मनमर्जी पूर्वक एक पक्षीय कार्यवाही कर बिना हमें सुनवाई किये खेते के बीचोंबीच रास्ता निकालने का आदेश पारित कर भारी भूल की है।

(ख) यह कि उक्त निर्णय पारित करते वक्त तहसीलदार पल्लु ने अपना माईण्ड अप्लाई नहीं किया तथा यह निर्णय मनमाना व स्वैच्छाचारित पूर्ण है तथा न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

(ग) यह कि उक्त निर्णय करने से पूर्व मातहत अदालत ने हमें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया।

(घ) यह कि पटवारी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अपीलान्ट ने अपने खेत की सींव पर रास्ता छोड़ रखा है तथा खेत के बीच में रास्ता बंद है फसल काश्त कर रखी है फिर भी उक्त आदेश पारित करने की भूल की है।

(ड़) यह कि तहसीलदार पल्लु ने जहां से रास्ता खोलने के आदेश पारित किये है वह खेत के बीचोबीच है जिससे हमारे खेत के टुकड़े हो जायेगे तथा खड़ी फसल बर्बाद हो जायेगी, फिर भी मातहत अदालत ने राजनैतिक दवाब में आकर उक्त आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

(च) यह कि अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है, जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

(छ) यह कि अपील के अन्य बिन्दु वर वक्त बहस निवेदन किये जायेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

<u>प्रकरण संख्या 33/2024 अनवान मुखराम बनाम खेताराम आदि</u>

अतः अपील अपीलान्ट पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार पल्लु का आदेश दिनांक 12.07.2024 मिसल संख्या 3/24 निरस्त किया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री सुरेश कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये एंव राजीरामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–5, 6 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मूताबिक राजीनामा निर्णय पारित किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या –1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि मुताबिक राजीनामा निर्णय पारित किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा पेश राजीनामा के अनुसार– हमारा राजीनामा हो चूका है। मुताबिक राजीनामा आपसी सहमति से अपने खेत के पूर्व दिशा में सहमति से हमारे आवागमन हेतु रास्ता छोड़ दिया है। मुखराम के खेत के पूर्व दिशा में छोड़े गये रास्ते से होकर हम हमारे खेत में प्रवेश करते है। यही रास्ता मौके पर चालू है। इसलीये तहसीलदार पल्लू का आदेश दिनांक 12.07.2024 मिसल संख्या 3/24 निरस्त किया जावे। हम सभी पक्षकारान इस राजीनामा से पूर्णतया सहमत है।

मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू का निर्णय अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार पल्लू को प्रतिप्रेषत(**Remand**) की जाती है कि पक्षकारान को पुनः सुना जाकर एंव मौका निरिक्षण किया जाकर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:06:56 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 31/1/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)